मॉड्यूल 8: वैश्विक महामारी के दौरान बाल संरक्षण

सत्र 1: वैश्विक महामारी और बाल संरक्षण के मुद्दे

अवधि: 14:40 मिनट

आईए अब वैश्विक महामारी के दौरान बच्चों की नाजुक स्थिति के बारे में जानें।

किसी भी आपदा या वैश्विक महामारी की स्थिति में बच्चों सहित अन्य सभी कमजोर समूह यथा, बूढ़े–बुजुर्ग, विकलांगता से प्रभावित लोग, एचआईवी/एड्स से संक्रमित व्यक्ति, प्रवासी, अल्संख्यक तथा स्थानीय लोग अधिक प्रभावित होते हैं। यह नाजुकता हाशिए पर रहने वाले बच्चों में और बढ़ जाती है जैसे:

- बाल देखरेख गृहों/वैकल्पिक देखरेख/बिना पारिवारिक देखरेख में रहने वाले बच्चे
- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे
- प्रवासी परिवारों के साथ घुमन्तु बच्चे या एकल/परिवार से अलग किए गए बच्चे/आईसोलेशन सुविधा केन्द्रों में रहने वाले बच्चे
- सड़कों पर रहने वाले बच्चे
- निःशक्त बच्चे
- एचआईवी से संक्रमित बच्चे
- यौन कर्मियों के बच्चे
- गैर–सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित आश्रय गृहों में रहने वाले बच्चे

कोविड–19 या ऐसी किसी भी वैश्विक महामारी का बच्चों के जीवन पर बहुत असर पड़ता है।

उदाहरण के लिए, आपने कोविड–19 के दौरान बच्चों की दुर्दशा पर अनेकों समाचार देखे होंगे, जिसमें प्रवासी बच्चों के जोखिम तथा बच्चों के विरूद्ध हिंसा में वृद्धि से जुड़ी खबरें भी शामिल होंगी।

कोई भी वैश्विक महामारी जैसे कोविड–19, बच्चों के जीवन पर लम्बे समय तक के लिए प्रभाव डाल सकती है। ऐसी स्थितियां सुरक्षित और निरापद वातावरण में जिसमें बच्चे बढ़ते और विकसित होते हैं, उसमें बाधा उत्पन्न करती है।

परिवारों, मित्रों, दैनिक दिनचर्या और व्यापक समुदाय के अस्त–व्यस्त होने से बच्चों की खुशहाली, विकास और संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

इसके अतिरिक्त कोविड–19 के नियंत्रण और रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों से भी बच्चों को जोखिम का सामना करना पड़ता है।

गृह आधारित, सांस्थानिक क्वारन्टाईन तथा आईसोलेशन के सभी उपाय भी बच्चों तथा उनके परिवारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।[1]

घर में बन्द होने के कारण अपने अनुभवों को अपने विश्वसनीय मित्रों या शिक्षकों से साझा करने की संभावना खत्म हो जाती है।

आईए, बच्चों पर कोविड–19 के विशेष प्रभावों को जानें:

कोविड–19 एक स्वास्थ्य संकट है जिसके व्यापक बाल अधिकार संकट में परिणत होने का खतरा हैं। वायरस का मनो–सामाजिक प्रभाव, अनेकों बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी विपदा है।

- ऑन लाईन कक्षाओं के लिए डिजिटल उपकरण तथा इन्टरनेट न होने के कारण लाखों बच्चे स्कूल से ड्राप आऊट हो जाएंगे। अनेकों बच्चे अपने परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए भी स्कूल से ड्राप आऊट हो सकते हैं।
- जो बच्चे अत्यधिक कमियों तथा तनाव का सामना कर रहे हैं इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है।
- स्कूल छोड़ देने वाले बच्चे जो घर में ही बन्द पड़े हैं उन्हें संभावित उपेक्षा, घरेलू दुर्व्यवहार तथा शोषण का सामना करना पड़ सकता है। भारत में, जब से लॉकडाउन हुआ बच्चों के साथ दुर्व्यवहार में बढ़ोत्तरी हुई है और इस बात के भी सबूत हैं कि बाल तस्करी की घटनाओं में वृद्धि हुई है।[2]
- लॉकडाउन होने के साथ ही, बच्चों के साथ हिंसा और दुर्व्यवहार के जोखिम में अत्यन्त वृद्धि हुई है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं–[3]
    - बाल यौन शोषण
    - लिंग आधारित हिंसा
    - दुर्व्यवहार
    - ऑनलाईन दुर्व्यवहार[4]

[1] Technical Note: Protection of Children during the Coronavirus Pandemic (v.1)

[2] https://www.savethechildren.net/news/india-covid-19-survey-eight-ten-households-are-struggling-meet-their-daily-expenses-warns-save

[3]Child Protection during COVID 19: Threat Of Trafficking Of Children, RSLSA, UNICEF

[4] Child Protection during COVID 19: Threat Of Trafficking Of Children, RSLSA, UNICEF

- वैश्विक महामारी कोविड–19 के कारण उन बच्चों के जोखिम और बढ़ गए हैं जिनके परिवारों की जीविका छूटने का खतरा है। वैश्विक महामारी ने परिवारों की आर्थिक स्थिति बिगाड़ दी है जिसके कारण बाल मजदूरी, बाल विवाह, बाल तस्करी तथा यौन शोषण और वाणिज्यिक शोषण का खतरा बढ़ गया है।

लॉकडाउन क दौरान घटो घटनाओं ने बच्चों के संरक्षण के लिए आगे और भी चिंताएं उभार दीं।

20 मार्च से 31 मार्च 2020 के दौरान चाईल्ड–लाईन को 92,000 से अधिक कॉल प्राप्त हुईं जिसमें दुर्व्यवहार एवं हिंसा से संरक्षण की मांग की गई थी।

लॉकडाउन की शुरुआत के बाद से हेल्पलाईन पर कॉल की संख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। लगभग 8 प्रतिशत अन्य कॉल के साथ 3.07 लाख कॉल प्राप्त हुईं जो बाल मजदूरी से संबंधित थीं, अन्य 8 प्रतिशत खोए या भागे हुए बच्चों के बारे में थी। शारीरिक, लैंगिक के साथ–साथ भावनात्मक दुर्व्यवहार का खतरा, बच्चों पर कोविड–19 के साथ–साथ मंडरा रहा है।

चाईल्ड लाईन को कोविड–19 के कारण हुए लॉकडाउन में 5,584 फोन कॉल बाल विवाह रोकने के लिए प्राप्त हुए।

यूनिसेफ के अनुसार भारत में घरेलू हिंसा का सामना करने वाले बच्चों की संख्या दो करोड़ 71 लाख से 6 करोड़ 90 लाख तक है।[5]

आईए अब हम, वैश्विक महामारी के दौरान बाल संरक्षण से जुड़े खतरों पर विस्तार से चर्चा करें

जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, कोविड–19 जैसी वैश्विक महामारियां बच्चों के लिए अनेकों जोखिम उत्पन्न कर देती हैं। इनमें से कुछ को इस वर्तमान कोविड–19 वैश्विक महामारी के दौरान देखा गया है और इनमें से कुछ संभावित जोखिम हैं जिन्हें पूर्व में संक्रामक रोगों के फैलने के दौरान देखा गया है।

कोविड–19 द्वारा उत्पन्न खतरे

- शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार
- लिंग आधारित हिंसा
- मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक खतरा
- बाल श्रम
- बाल तस्करी
- एकाकी बच्चे एवं अलग किए गए बच्चे
- सामाजिक बहिष्कार

[5] https://feminisminindia.com/2020/04/15/children-covid-19-lockdown-abusive-households-street-children/

आईए इन सभी जोखिमों पर एक–एक कर विस्तार से चर्चा करें।

1. शारीरिक और भावनात्क दुर्व्यवहार
   आर्थिक संकट तथा मनोवैज्ञानिक तनाव के कारण माता–पिता अपने बच्चों की खुशहाली सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। यह इन रूपों में परिलक्षित हो सकता है:

   - बच्चों के पर्यवेक्षण में कमी तथा उनकी उपेक्षा
   - बाल दुर्व्यवहार तथा घरेलू/आपसी हिंसा में बढ़ोत्तरी
   - वयस्कों की अनुपस्थिति तथा देखरेख के न होने पर बच्चों के जहर खाने और अन्य खतरे तथा जख्मी होने का जोखिम
   - बाल संरक्षण सेवाओं पर दबाव या उन तक पहुंच में कमी

आईए अब शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार के पीछे के विशिष्ट कारणों को देखें

- बाल देखरेख सुविधाओं/स्कूलों का बन्द होना, देखरेख करने वालों पर लगातार कार्य करने कादबाव, बीमारी, देखरेख करने वालों का क्वारन्टाईन/आईसोलशन में रहना
- देखरेख करने वालों तथा समुदाय के सदस्यों में मनोसामाजिक संकट
- निस्संक्रामक द्रव्यों तथा अल्कोहल की उपलब्धता तथा दुरूप्योग
- घटनाओं की रिपोर्ट देने में बढ़ी हुई बाधाएं

1. हिंसाः विशेष रूप से सामाजिक लिंग–आधारित हिंसा

- यौन दुर्व्यवहार के जोखिम में वृद्धि, जिसमें ऑनलाइन यौन दुर्व्यवहार एवं प्रताड़ना भी शामिल हैं।
- बच्चों के यौन शोषण के जोखिम में वृद्धि, जिसमें सहायता करने के बदले में यौन संबंध बनाना, बच्चों का व्यावसायिक यौन शोषण तथा जबरदस्ती बाल विवाह शामिल है
- बाल सुरक्षा या सामाजिक लिंग आधारित हिंसा से जुड़े सेवाओं पर दबाव या उन तक पहुँच में कमी

आईए अब देखें कि कोविड–19 के दौरान सामाजिक लिंग आधारित हिंसा (Gender Based Violence) के क्या कारण हैं–

- बच्चों के पारिवारिक संरक्षण में कमी आना
- पारिवारिक आय/या बाहरी लोगों पर, सामान या सेवाएं पहुंचाने के लिए आश्रित होना
- लड़कियों पर सामाजिक लिंग द्वारा थोपी गई धरेलू जिम्मेदारियां जैसे परिवार के लोगों की देखभाल करना या घरेलू काम करना
- घटनाओं की रिपोर्ट देने, या चिकित्सीय उपचार लेने या अन्य सहायता लेने में बढ़ी हुई बाधाएं

2. **मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक संकट–**

- किसी प्यारे व्यक्ति की मृत्यु, बीमारी या अलग होने से या बीमारी से भय का संकट।
- पहले से खराब मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का और बिगड़ना।
- मानसिक स्वास्थ्य, मनोसामाजिक सहायता सेवाओं पर दबाव या पहुंच में कमी।

जोखिमों के कारण क्या हैं?

- उपचार इकाईयों में अलग रखने या गृह आधारित क्वारन्टाईन होने के कारण तनाव के स्तर का बढ़ना
- बच्चे या उनके माता–पिता या देखरेखकर्ता जिन्हें पहले से ही मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है अपना नियिमत उपचार या सहायता नहीं ले सकते हैं।
- क्वारन्टाईन में रखे जाने के उपाय, समुदाय में डर और घबराहट पैदा कर सकता है, खास तौर से बच्चों में, अगर वे यह न समझ पाएं कि यह सब क्या हो रहा है।

3. **बाल श्रम**

- खतरनाक या शोषण युक्त श्रम में बच्चों की भागीदारी में वृद्धि

हम जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान बाल श्रम के मुख्य कारण हैं:

- घरेलू आमदनी में क्षति या कमी
- स्कूल बन्द होने के कारण कार्य करने का अवसर या अपेक्षाएं

बाल तस्करी

- बाल श्रम/बंधुआ मजदूरी हेतु बाल तस्करी की घटनाओं में वृद्धि
- व्यावसायिक यौन शोषण हेतु बाल तस्करी की घटनाओं में वृद्धि
- वैश्विक महामारी के दौरान संसाधनों की कमी के कारण गुमशुदा बच्चों को ढूँढ़ने में बाधा
- जोखिम के कारण
- मानव तस्करी के मामलों से संबंधित सरकारी विभागों/पुलिस विभाग का काम ठप हो जाना
- न्यायालयों में चल रहे मामलों के फॉलोअप में बाधा।

4. **बिना साथ के एवं अलग किए गए बच्चे**

हम जानते हैं कि बिना साथ या सहारे के एवं माता–पिता या देखभालकर्त्ता से अलग रहने वाले बच्चे किसी भी वैश्विक महामारी के दौरान जोखिम के लिए सबसे नाजुक होते हैं क्योंकि

- अलगाव– देखभालकर्त्ता के क्वारन्टाईन/आईसोलशन में रखे जाने के फलस्वरूप फलस्वरूप बच्चे अपने देखभालकर्त्ता से अलग हो सकते हैं।
- बिना साथ के होना या घर का मुखिया बच्चा होना
- संस्थान में रखा जाना

आईए अब हम जानें कि ऐसे बच्चों के जोखिमों के प्रति नाजुक होने के क्या कारण हैं

- बीमारी के कारण माता–पिता या देखरेखकर्ता की मृत्यु
- क्वारन्टाईन/आईसोलशन के कारण देखरेखकर्ता का बच्चे/बच्चों से अलग–थलग रहना
- माता–पिता द्वारा बच्चों को किसी दूसरे परिवार के सदस्यों के पास उन क्षेत्रों में भेज देना जहां संक्रमण नहीं है।

5. सामाजिक निष्कासन

हम जानते हैं कि सामाजिक निष्कासन लोगों के प्रति भेदभाव उत्पन्न करता है और उन्हें अवसरों, विकल्पों के चयन तथा गरिमा से वंचित रखता है।

कोविड–19 के दौरान, सामाजिक निष्कासन कैसे एक बाल संरक्षण जोखिम है?

- संक्रमित व्यक्तियों या संक्रमित होने के संदेह वाले व्यक्तियों या समूह पर सामाजिक लांछन लगाना ।
- जो बच्चे सड़कों पर जीवन यापन करते हैं या कार्य करते हैं, अन्य बच्चे जो पहले से ही जोखिम में हैं और जो बच्चे संस्थानों में रह रहे हैं उनके जोखिम में वृद्धि तथा सहायता में कमी आती है।
- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों जिनमें निरूद्ध किए गए बच्चे भी शामिल हैं, के जोखिम में वृद्धि तथा सहायता में कमी होना।

आईए अब यह समझें कि सामाजिक निष्कासन के जोखिमों के क्या कारण हैं।

- संक्रमित होने के संदेह में आने वाले व्यक्तियों या समूहों का सामाजिक या जातीय भेदभाव
- हाशिए पर रहने वाले और अत्यधिक वंचित समूहों पर अधिक असर
- कमज़ोर और जोखिमग्रस्त बच्चों एवं परिवारों को मूलभूत सेवाओं की मनाही या पहुंच में कमी[6]

यौन कर्मियों के बच्चे:

हम जानते हैं कि यौन कर्मियों के बच्चे सबसे कमजोर तथा जोखिमग्रस्त हैं और दिखते नहीं हैं। चूंकि उनके माता–पिता जीविकाविहीन हैं और लांछन तथा भेदभाव का सामना कर रहे हैं, उस स्थिति में वे कुपोषण, **यौन व्यापार में जबरदस्ती धकेले जाने,** शोषण तथा मानव तस्करों के हाथों में एवं दुर्व्यवहार के अधिक जोखिम में हैं।[7]

[6] Technical Note: Protection of Children during the Coronavirus Pandemic (v.1), The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action

[7] https://www.thehindu.com/opinion/open-page/covid-19-and-children/article32124061.ece